न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून
फौजदारी परिवाद संख्या–2366 / 2026
CNR No.- UKDD02-009651-2026
डिम्पल कुमार बनाम दिलशेर खान उर्फ विक्की

अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम
थाना–पटेल नगर, जिला–देहरादून।

दिनांक 24.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी डिम्पल कुमार अनुपस्थित। समयः 01:30 पी0एम0 बजे पेश हो। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(साहिस्ता बानों)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून।

लंच बाद–

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई।

2. पुकार करायी गयी। बार–बार पुकार कराये जाने पर भी परिवादी डिम्पल कुमार अनुपस्थित। समय 04:00 पी0एम0 बजे पेश। परिवादी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2026 को योजित किया गया है। वर्तमान में पत्रावली तलबी सुनवाई हेतु नियत है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा परिवादी को तलबी सुनवाई हेतु कई अवसर प्रदान किये गये, किन्तु परिवादी दिनांक 21.04.2026, दिनांक 26.05.2026 व दिनांक 01.07.2026 से लगातार अनुपस्थित है तथा आज भी बार–बार पुकार कराये जाने पर परिवादी न तो स्वयं और न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित है। ऐसा दर्शित होता है कि परिवादी अपने परिवाद को संचालित करने हेतु इच्छुक एवं तत्पर नहीं है।

4. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद को लम्बित रखने का कोई उचित आधार इस न्यायालय को दर्शित नहीं होता है। तद्नुसार परिवादी का परिवाद परिवादी डिम्पल कुमार की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

5. पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

6. इस आदेश को ecourts.gov.in पर अपलोड किया जाये।

(साहिस्ता बानों)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून